

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुन्दरसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 253 सन 2019

अन्वयन :-

1. जसवंतसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन सतनापुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन सतनापुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मंजुदेवी 3 नायादेवी पुत्रोयान हंसराज जाति जाट साकिन सतनापुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीनाम

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा  
88

उपस्थित : श्री सुन्दर किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 25/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जसिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 14 कैरनरन के खाता संख्या 113/104 के पानो 320/370(88) की कुल 25300 हैक, पानो 319/370(88) की कुल 33750 हैक कुल 59050 हैक एवं ठक 14 कैरनरन के खाता संख्या 100/74 की कुल 78420 है मुने वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूनि पूर्व में वादी के दादा लाधुराम पुत्र सरदारराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लाधुराम पुत्र सरदारराम का देहान्त होने पर वाद भूनि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूनि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लाधुराम पुत्र सरदारराम के देहान्त होने के बाद विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति है जिसने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3, 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हक हिस्सा की भूनि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूनि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूनि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हां गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद दिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूनि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद दिक्री करमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीनाम को जसिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

सुन्दर  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर

किया की उसका नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लाधुराम पुत्र सरदाराराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तर्दीक किया जाकर शामिल गिराल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेशेकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल गिराल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 14 केएनएन के खाता संख्या 118/104 के प0न0 320/370(65) की कुल 2.5300 है व प0न0319/370(66) की कुल 3.9750 है व कुल 6.3250 है व चक 14 केएनएन के खाता संख्या 100/74 की कुल 7.8420 है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लाधुराम पुत्र सरदाराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लाधुराम पुत्र सरदाराराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लाधुराम पुत्र सरदाराराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3, 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिग्री फरमाया जावे।

पेशेकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 100/74 की कुल 2.782 है व रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 118/104 की कुल 6.3250 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है।

प्रस्तुत पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा लाधुराम पुत्र सरदाराराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लाधुराम पुत्र सरदाराराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या- 1 के नाम से दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की

6  
इसका प्रमाणकारी (राजस्व)  
नं० १२

उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है ।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजरा नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 100/74 की कुल 2.782 हैक् एवं रोही मौजा चक 14केएनएन के खाता संख्या 118/104 की कुल 6.3250 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/08/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर

राजस्व

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. जसवन्तसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मंजुदेवी 3 मायादेवी पुत्रीयान हंसराज जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 293 सन 2019 निर्णय दिनांक- 28/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 100/74 की कुल 2.782 हैक एवं रोही मौजा चक 14केएनएन के खाता संख्या 118/104 की कुल 6.3250 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते